

77

संशोधन

प्रेषक,

कमिश्नर,  
वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या- 751 / प्र0क0-2/2021-22 लखनऊ:

दिनांक 25 अक्टूबर, 2021

विषय:- लॉकडाउन में बंद चल रहे सिनेमा व्यवसाय को राहत प्रदान किये जाने हेतु लाइसेंस शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय के पत्र संख्या-746/प्र0क0-2/2021-22 दिनांक 22.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र संख्या-232/11-6-2021-एम(06)/2020 दिनांक 29.09.2021 का उल्लेख करते हुए इसकी छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है। कार्यालय के उक्त पत्र में शासन के पत्र का उल्लेख करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 की छूट की अवधि त्रुटिवश दिनांक 01.05.2020 से दिनांक 30.06.2021 अंकित हो गयी है, जबकि यह दिनांक 01.05.2021 से दिनांक 30.06.2021 है।

अतएव कार्यालय के उक्त पत्र दिनांक 22.10.2021 में दिनांक 01.05.2020 से दिनांक 30.06.2021 के स्थान पर दिनांक 01.05.2021 से दिनांक 30.06.2021 पढ़ा जाय।

भवदीया,

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

संख्या 751 / तददिनांकित  
प्रतिलिपि:-

1. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी (प्रभारी मनोरंजन से सम्बन्धित कार्य) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

make  
25/10/2021

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

27/10/21  
27/10/21